न्यायाधीश– मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 2, केकडी, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : – प्रवीण कुमार वर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

मोटर दुर्घटना दावा संख्या – 44/2023
सी.आई.एस.नम्बर – 86/2023
सीएनआर नंबर – आरजेएजे130003992023

1. श्रीमती अंतिमा जैन पत्नी स्व. श्री राकेश जैन
2. अश्वि जैन पुत्री स्व. श्री राकेश जैन
3. अवनी जैन पुत्री स्व. श्री राकेश जैन
नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती अंतिमा जैन
4. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री ताराचंद जैन
5. ताराचंद जैन पुत्र श्री मिश्रीलाल जैन
निवासी पंजाब नेशनल बैंक के पास, जयपुर रोड, चूंगी नाका, केकड़ी जिला अजमेर। **...प्रार्थीगण**

बनाम

1. नसरूद्दीन पुत्र श्री नूर मोहम्मद टांक निवासी सरवाड, जिला अजमेर
(वक्त दुर्घटना चालक एवं स्वामी मोटर साईकिल संख्या आर.जे.48. एस.डी.0950)
2. आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जरिये डी.एम. एयरोड्रम के पास कोटा।
(वक्त दुर्घटना बीमा कम्पनी मोटर साईकिल संख्या आर.जे.48. एस.डी.0950) **........अप्रार्थीगण**

याचिका बाबत क्षतिपूर्ति अंतर्गत धारा– 166 /140 मोटर वाहन अधिनियम

उपस्थितः –
1–श्री हेमन्त जैन– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण
2–श्री के.एल.मेवाड़ा– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3– श्री तेजभान भगतानी – विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

– निर्णय – **दिनांकः 17–03–2026**

1. प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबत क्षतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 1, केकडी, जिला अजमेर के

समक्ष दिनांक 04–08–2020 को पेश किया, जो श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक 465 दिनांक 18–09–2023 की पालना में विधिवत निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस अधिकरण को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण इस अधिकरण में दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रामपाल जैन ने पुलिस थाना केकड़ी के समक्ष एक तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 27–01–2020 को इस आशय की पेश की कि कल दिनांक 26–01–2020 को रात के लगभग 7:30–8:00 बजे उसका चचेरा भाई राकेश कृष्णा नगर की तरफ से मोटर साईकिल संख्या आर.जे.01.एस.टी.3923 से आ रहा था कि रिलायंस पेट्रोल पंप के पास केकड़ी की तरफ से आ रही मोटर साईकिल को उसका चालक तेज गति, लापरवाही व गफलत से चलाते हुए आया और रोंग साईड में आकर राकेश की मोटर साईकिल के टक्कर मार दी जिससे राकेश के गम्भीर चोटें आई और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। टक्कर मारने वाली मोटर साईकिल पर बैठे इकबाल के भी चोटें आई जिसे भी अस्पताल लेकर आए, जहां से उसे रैफर कर दिया गया। इकबाल जिस मोटर साईकिल पर बैठा था उसके चालक की गलती से दुर्घटना हुई और चालक मौके से भाग गया। दहासंस्कार के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूं।

3. उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पर पुलिस थाना केकड़ी ने एफ.आई.आर. संख्या 45/2020 धारा 279, 337 व 304 ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया तथा बाद अनुसंधान धारा 279, 337, 338, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में अप्रार्थी संख्या–1 नसरूद्दीन को दोषी मानते हुए उसके विरूद्ध आरोपपत्र विचारण न्यायालय में पेश किया। मृतक राकेश जैन के जिस मोटर साईकिल ने टक्कर मारी उसका रजिस्टर्ड मालिक अप्रार्थी संख्या–1 ही है, उक्त मोटरसाईकिल अप्रार्थी संख्या–2 बीमा कंपनी के पास बीमित थी तथा मृतक के प्रार्थीगण वारिस हैं। मृतक की आयु मृत्यु के समय करीब 35 वर्ष थी, जो स्वयं का व्यापार कर प्रतिमाह 3,36,003/– रूपये की वार्षिक आय अर्जित करता था, जिसकी मृत्यु से हुई क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण द्वारा याचिका में वर्णितानुसार सभी मदों में मिलाकर कुल– 1,16,50,075/– रूपये की राशि प्रचलित वार्षिक ब्याज सहित दिलाने की प्रार्थना की गई है।

4. अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से याचिका का जवाब इन अभिवचनों पर पेश किया गया कि उक्त दुर्घटना में अप्रार्थी संख्या 1 की गलत नहीं है तथा मोटर साईकिल अप्रार्थी संख्या 2 बीमा कंपनी के यहां बीमित है और क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी है। अतः याचिका खारिज की जाए।

5. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से याचिका का जवाब पेश कर अभिवचन किया गया कि मृतक दिनांक 26–01–2020 को किसी भी दुर्घटना में घायल होकर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। फर्जी रिपोर्ट क्लेम प्राप्त करने के लिए दर्ज कराई है। आय व आयु बाबत् दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। मृतक स्वयं की लापरवाही से उक्त दुर्घटना कारित हुई है। मृतक की मृत्यु वर्ष 2016 में ही प्राकृतिक कारणों से हो चुकी थी और वर्ष 2020 में इसे दुर्घटना का रूप दिया गया है। मृतक की आय के दस्तावेज वर्ष 2014–15 व 2015–16 के हैं, मृत्यु से पूर्व का कोई दस्तावेज नहीं है। वाहन चालक के पास वाहन को चलाने का लाईसेंस नहीं था। अतः क्लेम याचिका खारिज की जाए।

6. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गएः–

1. क्या दिनांक 26–01–2020 रात्रि के साढे सात–आठ बजे के लगभग अप्रार्थी संख्या 1 ने मोटर साईकिल नंबर आर.जे.48.एस.डी. 0950 को रिलायंस पेट्रोल पंप के पास केकड़ी में तेज गति, गफलत एवं लापरवाही से चलाकर रोंग साईड में जाकर सामने से आ रहे राकेश उर्फ रिंकू की मोटर साईकिल नंबर आर.जे.01.एस.टी.3923 के टक्कर मार दी जिसके कारण राकेश उर्फ रिंकू के शरीर पर गम्भीर चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई? ...प्रार्थीगण

2. क्या अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर याचिका खारिज होने योग्य है? ...अप्रार्थीगण

3. क्या प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से क्लेम याचिका में वर्णितानुसार अप्रार्थीगण से क्षतिपूर्ति राशि कितनी एवं किस प्रकार से प्राप्त करने के अधिकारी हैं? ... प्रार्थीगण

4. अनुतोष?

7. साक्ष्य प्रार्थीगण में ए.डब्ल्यू–1 अंतिमा जैन व ए.डब्ल्यू.–2 दीपक कुमार को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 32 पेश कर प्रदर्शित कराए गए।

8. अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से साक्ष्य में एन.ए.डब्ल्यू–1 हीरालाल को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में एन.ए.2/1 लगायत एन.ए.2/9 पेश कर प्रदर्शित कराए गए।

9. बहस अंतिम के तहत प्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत करते

हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 26–01–2020 को रात के लगभग 7:30–8:00 बजे जब राकेश कृष्णा नगर की तरफ से मोटर साईकिल संख्या आर.जे.01.एस.टी.3923 से आ रहा था तभी रिलायंस पेट्रोल पंप के पास केकड़ी की तरफ से आ रही मोटर साईकिल को उसका चालक नसरूद्दीन तेज गति, लापरवाही व गफलत से चलाते हुए आया और रोंग साईड में आकर राकेश की मोटर साईकिल के टक्कर मार दी जिससे राकेश के गम्भीर चोटें आई और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। टक्कर मारने वाली मोटर साईकिल पर बैठे इकबाल के भी चोटें आई। इकबाल जिस मोटर साईकिल पर बैठा था उसके चालक नसरूद्दीन की गलती से दुर्घटना हुई और चालक मौके से भाग गया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक अकेला परिवार में कमाने वाला पुरूष सदस्य था और प्रार्थीगण उस पर आश्रित थे। यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक व्यापार कर 3,36,003/–रूपये प्रतिवर्ष की आय प्राप्त करता था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण ने मृतक का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया था। अतः प्रार्थीगण की क्लेम याचिका स्वीकार की जाए। अपने पक्ष समर्थन में सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया गया।

10. इसका विरोध करते हुए योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 बीमा कंपनी का अपनी लिखित बहस में तर्क रहा है कि अप्रार्थी बीमा कंपनी के यहां बीमित वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। प्रार्थिया प्रकरण की चश्मदीद गवाह नहीं है तथा चश्मदीद गवाह दीपक कुमार की जिरह में गम्भीर विरोधाभास सामने आया है। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पर सवार इकबाल नाम के व्यक्ति के भी चोट आना बताया गया है लेकिन उसे साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है जिसके अभाव में उसके चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि आय के सम्बंध में दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। मृतक पर उसके माता–पिता आश्रित नहीं थे। मृतक स्वयं जिस मोटर साईकिल पर सवार था उसके स्लिप हो जाने से उसकी मृत्यु कारित हुई थी और इसीलिए प्रार्थीगण के द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अभाव में मृतक की मृत्यु दुर्घटना में कारित चोटें से होना साबित नहीं माना जा सकता है। अतः क्लेम याचिका खारिज की जाए। अपने पक्ष समर्थन में सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया गया।

11. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। अधिकरण द्वारा विरचित विवाद्यकों पर अधिकरण का संख्यावार विश्लेषण एवं निष्कर्ष निम्न

प्रकार से है–

विवाद्यक संख्या–1 व 2

12. विवाद्यक संख्या 1 के तहत यह तय किया जाना है कि क्या दिनांक 26–01–2020 रात्रि के साढे सात–आठ बजे के लगभग अप्रार्थी संख्या 1 ने मोटर साईकिल नंबर आर.जे.48.एस.डी.0950 को रिलायंस पेट्रोल पंप के पास केकड़ी में तेज गति, गफलत एवं लापरवाही से चलाकर रोंग साईड में जाकर सामने से आ रहे राकेश उर्फ रिंकू की मोटर साईकिल नंबर आर.जे. 01.एस.टी.3923 के टक्कर मार दी जिसके कारण राकेश उर्फ रिंकू के शरीर पर गम्भीर चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई? इसे साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है तथा विवाद्यक संख्या 2 के तहत यह तय किया जाना है कि क्या अप्रार्थीगण के जवाब के अतिरिक्त कथनों में अंकित आपत्तियों के आधार पर प्रार्थीगण की क्लेम याचिका खारिज होने योग्य है? इसे साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर है। उपरोक्त दोनो विवाद्यकों का निस्तारण एक दूसरे से संबंधित होने एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

13. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में याचिकाकर्ता/प्रार्थिया ए.डब्ल्यू–1 अंतिमा जैन तथा ए.डबल्यू–2 दीपक कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथपत्र में यह कथन किया है कि दिनांक 26–01–2020 को रात्रि के करीब 7:30–8:00 बजे जब राकेश उर्फ रिंकू अजमेर रोड पर कृष्णा नगर की तरफ से मोटर साईकिल संख्या आर.जे.01.एस.टी.3923 पर आ रहा था, जब रिलायंस पेट्रोल पंप के पास केकड़ी की तरफ से आ रही मोटर साईकिल बिना नंबरी को उसका चालक तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए आया और गलत साईड में आकर राकेश की मोटर साईकिल के टक्कर मार दी जिससे राकेश के शरीर पर गम्भीर चोटें आने से उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार प्रार्थिया अंतिमा जैन एवं गवाह दीपक कुमार ने उपरोक्त दुर्घटना में मोटर साईकिल नंबर आर.जे.48.एस.डी.0950 के चालक की लापरवाही होना बताया है, जिस मोटर साईकिल पर दुर्घटना के समय उसके रजिस्टर्ड नंबर अंकित नहीं थे। प्रार्थिया अंतिमा जैन की जिरह के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी तथा यह स्पष्ट किया है कि रामपाल जी ने उसे फोन करके यह बताया था कि राकेश उर्फ रिंकू का एक्सीडेंट सामने वाली गाडी ने गलत साईड में आकर टक्कर मारकर कर दिया है। प्रार्थिया ने मृतक राकेश का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाना स्वीकार किया है और इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उसके पति की मोटर साईकिल स्लिप होने के कारण उसके चोट आने से मृत्यु हुई हो और इस कारण पोस्टमार्टम

कराने से मना किया हो। उक्त दुर्घटना का चश्मदीद गवाह ए.डबल्यू–2 दीपक कुमार ने दुर्घटना को देखना तथा मौके पर मौजूद होना बताया है। उसने यह कथन किया कि वह अपने दोस्त कन्हैयालाल के साथ मोटर साईकिल से केकड़ी आ रहा था तब उन्होने उक्त दुर्घटना देखी थी, जिसमें आरोपित वाहन मोटर साईकिल के चालक की लापरवाही थी। जिरह के दौरान उसने यह बताया कि दुर्घटना के समय वह स्कूटी पर आ रहा था जिसके नंबर 2400 है तथा दुर्घटना आमने–सामने की होना बताया है। उक्त गवाह ने यह स्पष्ट किया कि राकेश जैन के अलावा एक अन्य व्यक्ति के और चोट आई थी जो कि सामने वाली मोटर साईकिल के पीछे बैठा था। उसने यह स्वीकार किया कि जिस व्यक्ति ने टक्कर मारी थी वह मोटर साईकिल वहीं छोड़कर भाग गया था, फिर उसने कहा कि मोटर साईकिल लेकर भागा या छोड़कर भागा, यह उसे याद नहीं है। उसने पुलिस द्वारा मौके पर ही नक्शा मौका बनाया जाना भी स्पष्ट किया है।

14. प्रार्थिया की ओर से अपनी साक्ष्य के दौरान फौजदारी प्रकरण के दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित कराया गया है जिनमें प्रदर्श–1 दुर्घटना की तहररी रिपोर्ट है जो मृतक के चचेरे भाई रामपाल ने दुर्घटना के अगले दिन दिनांक 27–01–2020 को दर्ज कराई है जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–2 पंजीबद्ध हुई है। दुर्घटना के सम्बंध में पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान नक्शा मौका प्रदर्श–4 तैयार किया गया है जिसके अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि आरोपित वाहन मोटर साईकिल द्वारा गलत साईड में जाकर मृतक की मोटर साईकिल को एक्स स्थान पर टक्कर मारी गई। पुलिस द्वारा आरोपित मोटर साईकिल को प्रदर्श–7 के जरिये जब्त किया गया। उक्त मोटर साईकिल की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श 6 है। दुर्घटनाग्रस्त मोटर साईकिल की फर्द निरीक्षण एवं सुपुर्दगी प्रदर्श–8 है। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से भी यह पाया जाता है कि दोनो ही मोटर साईकिल में नुकसान कारित हुआ है, जो कि उक्त दुर्घटना की पुष्टि करता है। दुर्घटना में आरोपित मोटर साईकिल का चालक व स्वामी अप्रार्थी संख्या–1 नसरूद्दीन होना बताया गया है, जिसे पुलिस द्वारा धारा 133 व 134 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श–5 दिया गया जिसने दुर्घटना के समय आरोपित मोटर साईकिल का चालक स्वयं को होना बताया है तथा यह भी अंकित किया है कि वह डर के मारे अपनी मोटर साईकिल लेकर भाग गया था। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान गवाह इकबाल, रामपाल, कन्हैयालाल, जितेन्द्र तथा दीपक कुमार के बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत लेखबद्ध किए, जो क्रमशः प्रदर्श–12 लगायत 16 है जिनके अवलोकन से भी यह पाया जाता है कि उक्त गवाहान ने भी उक्त दुर्घटना की ताईद करते हुए आरोपित मोटर साईकिल के

चालक की लापरवाही होना प्रमाणित किया है। पुलिस द्वारा अनुसंधान के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1/अभियुक्त नसरूद्दीन के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोपपत्र प्रदर्श–3 पेश किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भी उपरोक्त दुर्घटना में आरोपित वाहन मोटर साईकिल के चालक की लापरवाही होना पाई जाती है।

15. योग्य अधिवक्ता बीमा कंपनी का तर्क रहा है कि दुर्घटना के पश्चात मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पत्रावली में पेश नहीं हुई है। इसके अलावा मृतक के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–17 के अवलोकन से जाहिर होता है कि मृतक के ऐसे कोई चोट जाहिर नहीं आई है जिससे उसकी मृत्यु हो सकती हो। इसके अलावा उसकी चोटों की एक्सरे रिपोर्ट भी नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि आहत इकबाल का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–18 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श–19 को प्रदर्शित कराया गया है, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उक्त दोनो दस्तावेज प्रदर्श–18 व 19 को साक्ष्य में प्रदर्शित कराते समय योग्य अधिवक्ता बीमा कंपनी द्वारा आपत्ति की गई, जिस पर इस अधिकरण के द्वारा उक्त आपत्ति को सुरक्षित रखते हुए इसका निस्तारण निर्णय के समय किए जाने का आदेश दिया गया था। इस संदर्भ में इस अधिकरण का यह मत है कि आहत इकबाल का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–18 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श–19 को साक्ष्य के दौरान प्रार्थीगण द्वारा प्रदर्शित कराया गया है एवं इस सम्बंध में इकबाल की साक्ष्य पेश नहीं की गई है परन्तु इस संदर्भ में स्वयं इकबाल के पुलिस बयान प्रदर्श–12 का अवलोकर करें तो उसने यह कथन किया है कि वह अपने दोस्त नसरूद्दीन की मोटर साईकिल पर उसके पीछे बैठकर आ रहा था जब रिलायंस पेट्रोल पंप के पास नसरूद्दीन ने मोटर साईकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाकर अन्य मोटर साईकिल नंबर आर.जे.01.एस.टी.3923 के टक्कर मार दी जिससे उसके चालक राकेश के गम्भीर चोटें आई तथा उसके स्वयं के भी चोटें आई। इसके अलावा उक्त तथ्य अन्य गवाहान ने भी अपने बयानों में प्रकट किए हैं, इसलिए केवल इकबाल की साक्ष्य नहीं कराए जाने से उसक चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–18 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श–19 को साक्ष्य में अग्राह्य नहीं माना जा सकता है। उक्त चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट उक्त दुर्घटना में आई चोटों से सम्बंधित ही हैं एवं उनके फर्जी व कूटरचित होने की सम्भावना भी नहीं है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनो दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य माना जाता है। इस प्रकार आहत इकाबल के पुलिस बयान प्रदर्श–12, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–18 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 19 से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वह दुर्घटना के समय अप्रार्थी संख्या 1 के साथ उसकी मोटर साईकिल पर पीछे बैठा हुआ था तथा दुर्घटना में उसके शरीर पर भी चोटें कारित हुई

थी। योग्य अधिवक्ता बीमा कंपनी द्वारा सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत Narbada Devi & Ors. Vs Shaitan Ram & Anr. S.B.Civil Misc. Appeal No. 2947/2008 का हवाला दिया गया है, जिसके तहत यह निर्णीत किया गया है कि क्लेम याचिका में यह अंकित किया गया है कि मृतक का रेनवाल हॉस्पिटल में तुरन्त उपचार कराया गया परन्तु उक्त हॉस्पिटल के दस्तावेज पेश नहीं किए गए। यहां तक की पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया जिससे क्लेम याचिका के फर्जी होने का पता चलता है परन्तु उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी बीमा कंपनी की कोई मदद नहीं करता है क्योंकि मृतक राकेश के साथ दुर्घटना होने पर उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–17 दुर्घटना के दिन ही दिनांक 26–01–2020 को तैयार किया गया है। हालांकि मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है और जिसके सम्बंध में प्रार्थिया ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उन्होने पुलिस को पोस्टमार्टम कराने के लिए मना कर दिया था परन्तु मृतक का पोस्टमार्टम नहीं होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त दुर्घटना कारित ही नहीं हुई हो जबकि प्रार्थिया व अन्य गवाहान की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक राकेश की मृत्यु कारित होना जाहिर होता है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी का यह भी तर्क रहा है कि मृतक के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–17 में चोट संख्या 1 साधारण एवं कुंद हथियार से कारित होना अंकित है तथा इसके अलावा Subject is unconscious GCS Low, So further examination is Postponed अंकित है तथा उक्त टर्म व्यक्ति की दिमाग की क्षति, स्ट्रोक व अन्य गम्भीर स्थिति के आधार पर प्रयुक्त की जाती है, ऐसी स्थिति में प्रदर्श–17 से यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना कारित नहीं हुई थी, बल्कि मृतक अपनी मोटर साईकिल के स्लिप हो जाने से उक्त चोट कारित हुई है और जिस प्रकार से दुर्घटना होना बताया गया है उस प्रकार से दुर्घटना होती तो ऐसी चोट आना सम्भव नही था परन्तु उनका यह तर्क भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि जहां तक मृतक के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–17 का प्रश्न है तो उसमें एक चोट साधारण प्रकृति की कुंद हथियार से आना बताया गया है जबकि दूसरी चोट अंदरूनी चोट भी हो सकती है जिसके आधार पर उसकी बेहोशी की स्थिति गम्भीर होना जिम्मेदार हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि दो मोटर साईकिलों की टक्कर होने में पूरे शरीर पर गम्भीर चोटें कारित हों। यह भी सम्भावना हो सकती है कि मृतक के दो चोटों में से एक चोट उसके मार्मिक अंग सिर आदि में अन्दरूनी आने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए। मृतक का चोट प्रतिवेदन दुर्घटना की दिनांक को ही तैयार किया गया है, इसके अलावा आरोपित मोटर साईकिल पर बैठा आहत इकबाल का चोट

प्रतिवेदन प्रदर्श पी 18 भी दुर्घटना की दिनांक को ही तैयार किया गया है तथा उक्त दोनो चोट प्रतिवेदन की हिस्ट्री में आर.टी.ए. लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श–33 नकल रपट रोजनामचा में उक्त दुर्घटना में राकेश जैन व इकबाल के चोट आना अंकित है। अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत 1993 Supreme(AP) 564 Khairullah @Babu, Lorry Driver. Vs Anita @ AmruthalalPatel. तथा AIR Online 2019 Del 1335 National Insurance Co. Ltd. Vs Meenakshi Gupta & Ors.में यह स्पष्ट किया गया है कि पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश नहीं होने की स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि मृतक के चोट दुर्घटना के दौरान कारित नहीं हुई हो। हस्तगत प्रकरण में दुर्घटना की रिपोर्ट अगले दिन ही 24 घंटे के अंदर दर्ज करवा दी गई थी जिसमें दुर्घटना का उल्लेख है। हालांकि रिपोर्ट प्रदर्श 1 में आरोपित मोटर साईकिल के नंबर अंकित नही है, क्योंकि उस समय वह बिना नंबरी थी और उसे रजिस्टर्ड नंबर जारी नहीं हुए थे। राजकीय चिकित्सालय की दिनांक 26–01–2020 की पर्ची में एम.एल.सी. का अंकन है तथा रोजनामचा प्रदर्श–33 में भी दिनांक 26–01–2020 को उक्त दुर्घटना में मृतक राकेश व अन्य घायल इकबाल के चोटें आने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया व चश्मदीद गवाहान ने अपनी साक्ष्य में उपरोक्त दुर्घटना में मृतक राकेश के चोटें आने से उसकी मृत्यु कारित होना एवं उक्त दुर्घटना में आरोपित मोटर साईकिल के चालक की लापरवाही होना साबित किया है, ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होने से प्रार्थीगण के क्लेम पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

16. योग्य अधिवक्ता बीमा कंपनी ने सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत 1– Civil Appeal No. 6794/2025 Vanita & Ors. Vs M/s Shriram Insurance Company Ltd. & Anr. 2– Civil Appeal NO(S) 5172/2025 Rajamma & Ors. Vs M/s Reliance General Insurance Co. 3– Civil Appeal No 14718 & 14719/2025 Sithara & Ors. ETC Vs. M/S Shriram Insurance Company Ltd. का हवाला देते हुए यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को आरोपित वाहन का संलिप्त होना व उक्त वाहन की पहचान साबित करना होता है तथा सम्भावनाओं की प्रबलता के आधार पर आरोपित वाहन की संलिप्तता को साबित करना आवश्यक है। यदि गवाहान के बयानों में गम्भीर विरोधाभास प्रकट होता है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई शंका प्रकट होती है तो क्लेम याचिका खारिज की जा सकती है परन्तु उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य भी अप्रार्थी बीमा कंपनी को कोई मदद नहीं करते हैं क्योकि इस प्रकरण में

परीक्षित चश्मदीद गवाह दीपक कुमार ने दुर्घटना के समय मौके पर मौजूद होना एवं उक्त दुर्घटना में आरोपित वाहन के चालक की गलती होना साबित किया है। इसके अलावा प्रस्तुत फौजदारी प्रकरण के दस्तावेजों के आधार पर आरोपित मोटर साईकिल का उक्त दुर्घटना में लिप्त होना तथा उक्त दुर्घटना में आरोपित मोटर साईकिल के चालक की लापरवाही होना प्रमाणित होती है। प्रार्थिया अंतिमा जैन व गवाह दीपक कुमार की जिरह में ऐसा कोई विरोधाभास प्रकट नहीं हुआ है जिससे उक्त दुर्घटना साबित नहीं होती हो, बल्कि उपरोक्त दोनो ही गवाहान की साक्ष्य जिरह के दौरान अखंडित रही है एवं उन्होने दुर्घटना में आरोपित मोटर साईकिल की संलिप्तता को साबित किया है। अन्यथा भी मोटर दुर्घटना दावा के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 2018(5) एस.सी.सी. 656 मंगलाराम बनाम ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के अनुसार साक्ष्य का सख्त नियम नहीं अपनाया जा सकता है तथा इसका विचारण एक संक्षिप्त विचारण की भांति ही किया जाना चाहिए। अप्रार्थी संख्या 2 बीमा कंपनी की ओर से प्रसतुत गवाह एन.ए.डबल्यू–1 हीरालाल ने अपनी साक्ष्य के दौरान प्रदर्श एन.ए.2/1 लगायत एन.ए.2/9 प्रदर्शित कराए हैं लेकिन उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं होता है कि उक्त दुर्घटना कारित नहीं हुई हो एवं उक्त दुर्घटना में लिप्त वाहन मोटर साईकिल चालक की लापरवाही नहीं रही हो बल्कि इनकी जांच रिपोर्ट प्रदर्श एन.ए.2/1 के आधार पर उपरोक्त दुर्घटना की पुष्टि होती है।

17. योग्य अधिवक्ता बीमा कंपनी का यह तर्क रहा है कि दुर्घटना के समय अप्रार्थी संख्या 1 के पास प्रभावी डी.एल. नहीं था, इसलिए उक्त वाहन के चालक व स्वामी द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों की पालना नहीं की गई है। इस संदर्भ में अधिकरण का मत है कि प्रार्थीगण की ओर से परीक्षित गवाह ए.डबल्यू–1 अंतिमा जैन ने अपनी साक्ष्य में अप्रार्थी संख्या 1 नसरूद्दीन का डी.एल. प्रदर्श–11 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है, जिसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना की दिनांक को उक्त वाहन के चालक नसरूद्दीन का डी.एल.प्रभावी था। प्रदर्श 9 वाहन संख्या आर.जे.48.एस.डी. 0950 के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र से यह पाया जाता है कि उक्त वाहन का स्वामी अप्रार्थी संख्या 1 ही था और प्रदर्श–10 बीमा पॉलिसी के अनुसार उक्त वाहन अप्रार्थी संख्या 2 बीमा कंपनी के यहां दिनांक 06–01–2019 से 05–01–2024 तक की अवधि के लिए बीमित था।

18. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण पक्ष यह साबित करने में सफल रहे हैं कि दिनांक 26–01–2020 रात्रि के साढे सात–आठ बजे के लगभग अप्रार्थी संख्या 1 ने मोटर साईकिल

नंबर आर.जे.48.एस.डी. 0950 को रिलायंस पेट्रोल पंप के पास केकड़ी में तेज गति, गफलत एवं लापरवाही से चलाकर रोंग साईड में जाकर सामने से आ रहे राकेश उर्फ रिंकू की मोटर साईकिल नंबर आर.जे.01.एस.टी.3923 के टक्कर मार दी जिसके कारण राकेश उर्फ रिंकू के शरीर पर गम्भीर चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई तथा अप्रार्थीगण की ओर से अपनी जवाब याचिकाओं एवं बहस के दौरान प्रस्तुत की गई आपत्तियां सार्थक नहीं पाई जाती है तथा इन आधारों पर प्रार्थीगण की क्लेम याचिका खारिज किए जाने योग्य नहीं है। फलस्वरूप विवाद्यक संख्या 1 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध तथा विवाद्यक संख्या 2 अप्रार्थीगण के विरूद्ध एवं प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या –3

19. इस विवाद्यक के तहत यह तय किया जाना है कि क्या प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से क्लेम याचिका में वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति राशि कितनी एवं किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं? जैसा कि विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन में अधिकरण ने साबित पाया है कि दिनांक 26–01–2020 रात्रि के साढे सात–आठ बजे के लगभग अप्रार्थी संख्या 1 ने मोटर साईकिल नंबर आर.जे.48.एस.डी. 0950 को रिलायंस पेट्रोल पंप के पास केकड़ी में तेज गति, गफलत एवं लापरवाही से चलाकर रोंग साईड में जाकर सामने से आ रहे राकेश उर्फ रिंकू की मोटर साईकिल नंबर आर.जे.01.एस.टी.3923 के टक्कर मार दी जिसके कारण राकेश उर्फ रिंकू के शरीर पर गम्भीर चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई तथा इस दुर्घटना में मृतक की कोई उपेक्षा एवं लापरवाही नहीं थी और यह भी साबित पाया गया कि दुर्घटना में लिप्त मोटर साईकिल का चालक व स्वामी अप्रार्थी संख्या 1 था, जो मोटर साईकिल अप्रार्थी संख्या 2 के यहां बीमित थी, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण उपरोक्त दुर्घटना के फलस्वरूप कारित मृतक की मृत्यु बाबत क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। योग्य अधिवक्ता बीमा कंपनी का तर्क रहा है कि प्रस्तुत याचिका में प्रार्थी संख्या 4 व 5 मृतक के माता पिता हैं, जो स्वयं आय अर्जित करते हैं, इसलिए प्रार्थी संख्या 4 व 5 मृतक पर आश्रित नहीं होने से प्रतिकर प्राप्त करने अधिकारी नहीं हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक की आय बाबत आयकर रिटर्न प्रस्तुत किए गए हैं लेकिन इनके साथ कम्प्यूटेशन स्टेटमेंट व बैंक स्टेटमेन्ट पेश नहीं किए गए हैं और इसके अलावा मृतक को आय किस मद में हो रही थी इस सम्बंध में भी कोई बैंक स्टेटमेन्ट या अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है तथा इस सम्बंध में प्रार्थिया ने भी स्पष्ट कथन नहीं किए हैं। दूसरी ओर योग्य अधिवक्ता

प्रार्थीगण का तर्क रहा है कि मृतक की आय के सम्बंध में गत वर्षों के आयकर रिटर्न प्रदर्श–21 लगायत 32 पेश किए गए हैं, जो कि सारवान दस्तावेज हैं और आयकर रिटर्न को साबित करने के लिए किसी गवाह की साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है एवं इस हेतु किसी बैंक स्टेटमेन्ट या अन्य दस्तावेज की भी आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण सभी मृतक पर आश्रित थे।

20. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने से इस अधिकरण का यह मत है कि जहां तक दुर्घटना के समय मृतक की आय का प्रश्न है तो इस सम्बंध में प्रार्थीगण की ओर से आयकर रिटर्न प्रदर्श 21 लगायत 32 को पेश किया गया है, जिन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा आयकर रिटर्न को साबित करने के लिए किसी गवाह की आवश्यकता भी नहीं है। अन्यथा भी उक्त तथ्यों को नासाबित करने के लिए अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, इसलिए आयकर रिटर्न के आधार पर मृतक की आय की गणना की जाएगी। योग्य अधिवक्ता बीमा कंपनी का यह भी तर्क रहा है कि आयकर रिटर्न के सम्बंध में आयकर का मध्य औसत नहीं लिया जा सकता है तथा अंतिम आयकर रिटर्न पर विचार करना चाहिए परंतु इस संदर्भ में इस अधिकरण का मत है कि मृतक की आय के सम्बंध में वर्ष 2011 से वर्ष 2020 तक के एसेसमेन्ट ईयर के आयकर रिटर्न क्रमश प्रदर्श 21 लगायत 32 आयकर रिटर्न में से मृत्यु के तुरन्त पहले के 03 वर्ष के एसेसमेन्ट ईयर का औसत लिया जाकर प्रतिमाह आय की गणना किया जाना उचित प्रतीत होता है। मृतक की वार्षिक आय मृत्यु से पूर्व के तीन वर्षों के आयकर रिटर्न प्रदर्श 27 से 29 की 03 वर्ष की कुल वार्षिक आय 300122 + 251192 + 336003 = 8,87,317 रूपये के अनुसार प्रतिवर्ष औसत आय 2,95,772/– रूपये होने के आधार पर प्रतिमाह 24648/–**रूपये आ**य परिकलन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः इस आधार पर मृतक की मृत्यु की दिनांक 26–01–2020 को **प्रतिमाह 24648/–रूपये आ**य परिकलन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक मृतक की आयु का प्रश्न है, तो इस प्रकरण में मृतक की उम्र याचिका में 35 साल बतायी गई है तथा मृतक के आय के सम्बंध में पेश एसेसमेन्ट ईयर में पेन कार्ड नंबर AERPJ5503Q व प्रदर्श 31 में जन्म दिनांक 15–06–1985 अंकित है, इससे दर्शित होता है कि मृतक की दुर्घटना की दिनांक 26–01–2020 को आयु 35 वर्ष थी और इस प्रकार मृतक की आयु 35 वर्ष होना निर्धारित की जाती है। इसके खण्डन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है और प्रार्थीगण की साक्ष्य पूर्णतया अखंडित रही है। जहां

तक भावी वृद्धि का प्रश्न हैं, तो मृतक की उम्र वक्त दुर्घटना 35 वर्ष पाई गई है, इसलिए उसकी आयु को देखते हुए उसे भावी वृद्धि के रूप में 40 **प्रतिशत भविष्यवर्ती** लाभ दिलाना उचित है। जहां तक मृतक की आय में से कटौती किये जाने का प्रश्न है, मृतक के आश्रित के रूप में प्रार्थीगण मृतक की पत्नी, मृतक की 02 नाबालिग पुत्रियां व मृतक के माता–पिता की ओर से यह याचिका पेश की गई है और मृतक के माता–पिता स्वयं आय अर्जित करते हों और मृतक पर आश्रित नहीं रहे हों इस सम्बंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य बीमा कंपनी की ओर से पेश नहीं की गई है। प्रार्थी संख्या 4 व 5 मृतक के माता–पिता हैं, जिन्हे भी मृतक पर आश्रित माना जाएगा, इस प्रकार प्रार्थीगण पाचों को मृतक का आश्रित माना जाकर, इसी प्रकार प्रतिकर का निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर दुर्घटना के समय मृतक की आय 24648/–रूपये मासिक होना मानते हुए आय की क्षति की गणना की जाएगी तथा आश्रितों की संख्या 5 होने पर मृतक की आय में **से 1/4 हिस्सा कटौती के** रूप में कम किया जाएगा एवं मृतक की आयु 35 साल होने से **16 का** गुणांक लागू होगा। इस प्रकार प्रार्थीगण को आय की क्षति के रूप में प्राप्त होने वाली राशि निम्नानुसार होगी–

भावी वृद्धि – 24648×40÷100= 9859
कुल आमदनी – 24648+9859= 34,507
कुल आमदनी 34507 का 1/4 हिस्सा कटौती= 8627
मासिक आय कटौती के पश्चात आय प्रतिमाह आय 34507–8627/–रूपये = 25880
गुणांक के पश्चात प्राप्त होने वाली कुल क्षतिपूर्ति **25880x12x16 =49,68,960/– रूपये होती है।**

21. अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण को आय की क्षतिपूर्ति के रूप में कुल **49,68,960/–रूपये** दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

22. अन्य मदों के तहत प्रार्थीगण को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी आदि व सरला वर्मा में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार मृतक के प्रेम व स्नेह से वंचित होने पर प्रार्थीगण प्रत्येक को 40,000 रूपये के हिसाब से 2,00,000/– रूपये, अंतिम संस्कार बाबत् 15,000/– रूपये **कुल 2,15,000/– रूपये** दिलाया उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से कुल प्रतिकर राशि 2,15,000/– + 49,68,960 = **51,83,960/– रूपये** प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अन्य किसी मद में प्रार्थीगण को कोई प्रतिकर दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण को उक्त प्रतिकर राशि पर 7 ½ प्रतिशत वार्षिक

साधारण ब्याज की दर से ब्याज दिलाया जाना उचित पाया जाता है।

23. दुर्घटना के समय दुर्घटना में लिप्त मोटर साईकिल का अप्रार्थी संख्या 1 का चालक व वाहन का पंजीकृत स्वामी होना पाया गया है। दुर्घटना के समय अप्रार्थी संख्या 1 का वाहन अप्रार्थी संख्या 2 बीमा कम्पनी के यहां प्रदर्श 10 बीमा पॉलिसी के अनुसार दिनांक 06–01–2019 से 05–01–2024 तक के लिए बीमित होना पाया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बीमा कम्पनी की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण उक्त प्रतिकर राशि मय ब्याज अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से संयुक्ततः तथा पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। फलस्वरूप उपरोक्तानुसार उक्त विवाद्यक प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 (अनुतोष)

24. चूंकि विवाद्यक संख्या 1 व 3 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध एवं विवाद्यक संख्या 2 अप्रार्थीगण के विरूद्ध एवं प्रार्थीगण के पक्ष तय किए गए हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की क्लेम याचिका अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्तानुसार स्वीकार किए जाने योग्य पाई जाती है।

पं चा ट

25. अतः प्रार्थीगण श्रीमती अंतिमा जैन व अन्य द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध अंतिम पंचाट इस प्रकार पारित किया जाता है कि प्रार्थीगण प्रतिकर राशि स्वरूप **कुल 51,83,960/– रूपये (अक्षरे इक्यावन लाख तिरासी हजार नौ सौ साठ रुपये मात्र)** प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त राशि में से अन्तरिम क्षतिपूर्ति की राशि अगर प्राप्त की हो तो उसे समायोजित करने के पश्चात् शेष राशि मय 7 ½ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज याचिका दायरी दिनांक से अदायगी तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

26. प्रार्थीगण को देय क्लेम राशि **51,83,960/– रूपये (अक्षरे इक्यावन लाख तिरासी हजार नौ सौ साठ रुपये मात्र)** निम्न प्रकार से भुगतान की जाए–

क्र सं	नाम व सम्बंध	आयु	बचत खाता में देय राशि	सावधि जमा खाता में देय राशि	अवधि
1	श्रीमती अंतिमा जैन, पत्नी	लगभग 37 वर्ष	12,83,960/– मय समस्त ब्याज	2,00,000/– 3,00,000/–	01 वर्ष 02 वर्ष

2	अश्वि, पुत्री (नाबालिग)	लगभग 14 वर्ष	--------	13,00,000/-	बालिग होने तक
3	अवनी जैन, पुत्री	लगभग 10 वर्ष	----------	13,00,000/-	बालिग होने तक
4	श्रीमती गायत्री देवी, माता	लगभग 60 वर्ष	2,00,000/-	2,00,000/-	01 वर्ष
5	ताराचंद जैन, पिता	लगभग 55 वर्ष	2,00,000/-	2,00,000/-	01 वर्ष

27. उपरोक्त पंचाट राशि मय ब्याज निर्णय की तिथि से 02 माह के अंदर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एस.बी. सिविल रिट नम्बर 6237/2017 आदेश दिनांक 03-10-2018 में दिए दिशानिर्देशों के मुताबिक बीमा कम्पनी अवार्ड राशि इस अधिकरण के खाता संख्या 21046110130 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा केकड़ी में जरिये एन.ई.एफ.टी /आर.टी.जी.एस जमा करवाएगी और इसकी सूचना अधिकरण को विहित प्रारूप में देगी। प्रार्थीगण अपने राष्ट्रीयकृत बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ मय फोटोग्राफ, जो कि संबंधित बैंक द्वारा प्रमाणित हो, पेश करेंगे। पेनकार्ड यदि हो तो वो भी पेश करें, जिससे अवार्ड राशि न्यायालय के खाते से अवार्डी के खाते में जरिये एन.ई.एफ.टी /आर.टी.जी.एस अन्तरित की जा सके।

28. प्रार्थीगण इस आशय का शपथपत्र भी पेश करें कि उन्होंने पूर्व में इस दुर्घटना के संबंध में किसी भी न्यायालय/अधिकरण से कोई क्लेम प्राप्त नहीं किया है।

(प्रवीण कुमार वर्मा)
न्यायाधीश,
मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण,
संख्या-2 केकड़ी, अजमेर।

29. निर्णय आज दिनांक 17-03-2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले अधिकरण में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

SURENDRA SINGH PANWAR
Steno Gr.I "Authenticated Document"
Digitally signed by SURENDRA SINGH PANWAR
Date: 2026.03.17 16:24:49 +0530

(प्रवीण कुमार वर्मा)
न्यायाधीश,
मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण,
संख्या-2 केकड़ी, अजमेर